

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,  
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक: 06 नवम्बर, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (एस0सी0एस0पी0) हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्राक-371/खा0ग्रा0बो0/कौ0सु0प्र0(एस0सी0एस0पी0)पत्रा/2017-18, दिनांक 13.09.2017 एवं पत्राक-428/खा0ग्रा0बो0/कौ0सु0प्र0(एस0सी0एस0पी0)पत्रा/2017-18, दिनांक 27 सितम्बर/30.10.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 लाख (रूपये तीन करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न फांट के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) स्वीकृत धनराशि का आहरण एक मुश्त न कर, धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017, एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0 के मानक/दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्यूटर एण्ड आडिटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए भी उपलब्ध रहेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार प्रमाण-पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं उसके व्यय/उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में योजना की गाईड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) योजना अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों के प्रशिक्षण के लिए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय/उपयोग प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इत्तर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(9) स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही व्यय की जायेगी। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में विभागाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होगा।

(10) कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या-1/1/2010-का-प्रसको.-2014, दिनांक 03 सितम्बर, 2014 एवं नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-363/35-1-2016-5/31(3)/85, दिनांक 02 जून, 2016 में उल्लिखित प्रशिक्षण दरों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) उक्त प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी/प्रत्येक प्रशिक्षक का प्रत्येक सत्र का प्रतिदिन का डिजिटल फोटोग्राफ संरक्षित किया जायेगा तथा उनके मोबाइल नम्बर/आधार नम्बर भी संरक्षित किये जायेंगे।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07-कौशल सुधार प्रशिक्षण-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017, में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय,

( सुरेश चन्द्र )  
संयुक्त सचिव।

संख्या- 34/2017/875(1)/59-2-2016-25(खा)/2009 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5-बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण 30प्र0शासन।
- 6-निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग 4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
- 9- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 10-एन0आई0सी0योजना भवन,लखनऊ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( सुरेश चन्द्र )  
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या- 34/2017/875/59-2-2017-25(खा)/2009 दिनांक 06 नवम्बर, 2017 का संलग्नक कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (एस0सी0एस0पी0) वर्ष 2017-18 हेतु प्रावधानित रू0 300.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रशिक्षण केन्द्रवार धनराशि का विवरण प्रशिक्षण लक्ष्य अनुदान संख्या-83

क्र0	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	आच्छादित जनपद सं0	धनराशि रू0 में	सत्र सं0	प्रशि0 की संख्या	विशेष
1.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज, लखनऊ।	07	27,19,375.00	19	475	
2.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, खजनी-गोरखपुर	06	24,33,125.00	17	425	
3.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, आहोपट्टी-आजमगढ.	05	20,03,750.00	14	350	
4.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, रतनपुरा मऊ	05	20,03,750.00	14	350	
5.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच	05	20,03,750.00	14	350	
6.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अनुवाँ-इलाहाबाद	07	27,19,375.00	19	475	
7.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, कालपी जालौन	11	42,93,750.00	30	750	
8.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, पिपरौला-शाहजहाँपुर	07	27,19,375.00	19	475	
9.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अडिग-मथुरा	08	31,48,750.00	22	550	
10.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद बिजनौर	14	59,55,000.00	41	1040	सभी सत्र 25 प्रशिक्षार्थियों के लिए तथा अंतिम सत्र 25+15 प्रशिक्षार्थियों के लिए बजट को दृष्टिगत रखते हुए संचालित होगा।
	<b>योग</b>	<b>75</b>	<b>3,00,00,000.00</b>	<b>209</b>	<b>5240</b>	

(रूपये तीन करोड़ मात्र)

( सुरेश चन्द्र )  
संयुक्त सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।